फर्द अहकाम

(नियम (26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिकराय ....

सरकार बनाम कुसुमलता / सरकार

किस्म मुकदमा दावा मु० नं० 12/21

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.1.22	पत्रावली पेश। वकील वादी उप०। वकील वादी की बहस दावा सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादपत्र के तथ्य इस प्रकार से है कि वादिया का सही नाम कुसुमलता पुत्री स्व. प्रकाश है जबकि वादिया की खातेदारी भूमि मे वादियां का नाम शकुन्तला एवं मोती दर्ज है जो कि गलत है। पत्रावली मे जवाब state शामिल पत्रावली किया गया। ग्राम पंचायत रिपोर्ट का एवं संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया। अतः वादपत्र के पैरा सं. 1 मे वर्णित भूमि मे वादिया का नाम शकुन्तला के स्थान पर शकुन्तला उर्फ कुसुमलता एवं मोती के स्थान पर मोती उर्फ कुसुमलता दर्ज करने के आदेश तहसीलदार को दिए जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। [signature] 10.1.22	